

#2024/29

फर्द अहकाम


औमप्रकाश वगै०

बनाम

रमेश वगैरह

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या 13/2024 प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

क. सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	14.02.2024	<p>प्रार्थी की ओर से यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र जरिये अधिवक्ता श्री रामनिवास गुर्जर ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र मूल वाद के साथ पेश किया गया है तथा मूल वाद-पत्र क्षेत्राधिकार में पेश नहीं होने से खारिज हो चुका है। अतः मूल वाद-पत्र खारिज होने से उक्त प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद-पत्र खारिज होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो व दर्ज नंबर से कम हो। व मूल वाद के हमफिता हो।</p> <p> सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.</p>	